भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2097
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

2097. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अधीनस्थ और उच्चतर न्यायपालिका के भीतर संस्थागत भ्रष्टाचार के स्तर से अवगत है या उसने इस संबंध में कोई संस्थागत आंकलन किया है ;

(ख) यदि हां, तो विगत दस वर्षों के दौरान दर्ज की गई, जांच के अधीन और निस्तारित भ्रष्टाचार की शिकायतों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा निलंबित या सेवा से बर्खास्त किए गए न्यायिक अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) क्या न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता किए बिना संस्थागत भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच के लिए कोई नियामक तंत्र प्रस्तावित है ; और

(घ) रजिस्ट्री प्रबंधन में मानवीय निर्णय और भ्रष्ट व्यवहार को समाप्त करने के लिए न्यायालयी कार्यवाही की अनिवार्य श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग और स्वचालित, एल्गोरिदम आधारित मामले न्यायालय में सूचीबद्ध किया जाना लागू करने हेतु आवंटित निधि और आरंभ किए गए प्रणालीगत सुधारों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत के संविधान में निहित है। अधीनस्थ और उच्चतर न्यायपालिका के भीतर संस्थागत भ्रष्टाचार के स्तर के संबंध में किसी भी संस्थागत आकलन का समाधान न्यायपालिका द्वारा ही किया जाना है, क्योंकि यह संविधान के अधीन एक स्वतंत्र अंग है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायमूर्तियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का निपटान न्यायपालिका द्वारा "इन-हाउस प्रक्रिया" के माध्यम से किया जाता है। "इन-हाउस प्रक्रिया" के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने में सक्षम हैं। इसी प्रकार, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने में सक्षम हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित है। संबंधित राज्य सरकारें, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण और सेवानिवृत्ति के विषय के संबंध में नियम और विनियम बनाती हैं।

(घ) : भारत सरकार ने न्यायपालिका को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में समर्थ बनाने के लिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के परामर्श से, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना आरंभ की थी। ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 के अधीन 300 न्यायालयों में न्यायालयी कार्यवाहियों के सीधे प्रसारण के लिए 112.26 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। ई-न्यायालय परियोजना के अधीन विकसित जस्टआईएस ऐप (22,534 डाउनलोड) न्यायाधीशों को न्यायिक कार्यों को प्रभावी रूप से व्यवस्थित करने और उनकी निगरानी करने में मदद करता है। परियोजना के अधीन, अनुकूलित निःशुल्क और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था और यह एक व्यापक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो न्यायालयों को पारंपरिक कागज आधारित प्रणालियों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से न्यायिक मामलों के अभिलेखों को प्रबंधित करने में समर्थ बनाता है। वर्तमान में, सीआईएस 4.0 को संवर्धित उपयोगिता, गोपनीयता संबंधी सुरक्षा मानकों और एनजेडीजी, ई-फाइलिंग, आभासी न्यायालय और अंतरसंचालित दांडिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) जैसे राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण सहित सभी न्यायालयों में कार्यान्वित किया गया है।
